भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3813
दिनांक 16.07.2019/25 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

नागरिकता संशोधन विधेयक की स्थिति

†3813. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 की क्या स्थिति है;
(ख) क्या सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 या इसके प्रारूप को किसी भी प्रकार से भविष्य में संसद में कभी भी पुरःस्थापित करने की योजना बना रही है; और
(ग) प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 से संबंधित नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 के मामले में भारत सरकार के दिनांक 24 अक्तूबर, 2018 की गजट अधिसूचना का "हस्तक्षेप का अधिकार" क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख) : नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 लोक सभा में वर्ष 2016 में पेश किया गया था। इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.01.2019 को संसद को प्रस्तुत की। नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 पर लोक सभा द्वारा विचार किया गया और इसे दिनांक 08.01.2019 को पारित किया गया। यह विधेयक राज्य सभा द्वारा विचार और पारित किए जाने हेतु लंबित था। 16वीं लोक सभा के भंग हो जाने के परिणामस्वरूप, यह विधेयक व्यपगत हो गया है।

(घ): नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 का मूल उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रवासित होने वाले छह अल्पसंख्यक समुदायों के ऐसे सदस्यों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के कार्य को सुगम बनाना था जिनके पास वैध यात्रा दस्तावेज नहीं थे या जिनके दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो गई थी। नागरिकता अधिनियम, 1955 में ऐसे व्यक्तियों को ''अवैध प्रवासी'' माना जाता है तथा भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने की उनकी हकदारी समाप्त हो जाती है। दूसरी ओर नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 24 अक्तूबर, 2018 की राजपत्र अधिसूचना इसलिए जारी की गई थी, ताकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उपर्युक्त छह अल्पसंख्यक समुदायों के केवल विधिसम्मत प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के कार्य में तेजी लाई जा सके, बशर्ते कि वे पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करते हों। यह अधिसूचना नागरिकता अधिनियम, 1955 या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को संशोधित नहीं करती है। इस प्रकार, दिनांक 24 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना तथा व्यपगत हो चुका नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों की विभिन्न श्रेणियों के आप्रवासियों से संबंधित हैं।

*****